न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05/2019

प्रविष्टि दिनांकः– 27.05.2019

महावीर पुत्र श्योजीराम जाति तेली निवासी पनवाड़ मोड़, तहसील देवली जिला टोंक राज.

.....प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र बजरंग जाति गुर्जर निवासी बेनपा तहसील देवली जिला टोंक राज.
2–ग्राम पंचायत पनवाड़, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक
3–सचिव, ग्राम पंचायत पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज.

.....प्रतिपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा दिनांक 20.03.2013 व पंजीयन दिनांक 04.04.2013 बहक प्रतिपक्षी सं. 1 वाके ग्राम पंचायत पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक

उपस्थितः (1) श्री जितेन्द्र जैन व श्री हंसराज धाकड़, अभिभाषक निगरानीकर्ता

निर्णय

दिनांक 16/10/25

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि प्रतिपक्षी सं. 2 व 3 ने दिनांक 20.03.2013 को ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित भूमि में प्रतिपक्षी नं. 1 के पक्ष में 40x30 फिट कुल 1200 वर्गफिट का पट्टा दिनांक 20.03.2013 को जारी किया है जिसका दिनांक 04.04.2013 को पंजीयन करवाया गया है, उक्त पट्टे को पंचायत एक्ट के प्रावधानों के विपरित बताते हुए उसको निरस्त करार दिये जाने के लिए यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे संबंधित पत्रावली तलब की गई। ग्राम विकास अधिकारी ने जवाब प्रेषित किया कि ग्राम पंचायत कार्यालय में पट्टा पत्रावली को तलाश किया गया परन्तु पट्टा पत्रावली नहीं पायी गयी।

अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर मूल निगरानी में उभयपक्ष को सुना।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त पट्टा विलेख वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया तथाकथित उक्त पट्टा अवैधानिक है, यह

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार विहीन पट्टा है क्योंकि यह किसी आबादी भूमि का पट्टा न होकर चरागाह भूमि खसरा नं. 94 ग्राम पनवाड़ में दिया गया है जो नियम विरूद्ध है तथा अवैधानिक है क्योंकि ग्राम पंचायत ने गलत रूप से इस भूखण्ड को गैर मुमकिन आबादी का मानकर पट्टा जारी किया है तथा उक्त भूमि सेट–ए–पार्ट करके या चरागाह से किस्म बदलकर कभी भी ग्राम पंचायत को सुपुर्दगी में नहीं दी गयी है, ग्राम पंचायत को चरागाह में पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

वादग्रस्त भूमि के मौके पर वर्षों से लेकर आज तक प्रार्थी के व अन्य के बाडे बने हुए है, यह भूमि प्रतिपक्षी सं. 1 को आवंटन करने या पट्टा दिए जाने योग्य तथा रिक्त भूमि की श्रेणी में नहीं आती है, उक्त पट्टे की जांच कराने के संबंध में प्रार्थी ने माननीय उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी जिस पर उन्होंने दिनांक 24.12.2018 को पंचायत समिति के विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही तथा जांच करने हेतु व रिपोर्ट भिजवाने बाबत् लिखा था जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली ने उपखण्ड अधिकारी देवली को जरिये पत्र सं. 19/403 दिनांक 17.01.2019 को यह रिपोर्ट दी है कि इस संबंध में जांच करवा ली गयी है, उक्त पट्टा चरागाह भूमि के खसरा नं. 94 में दिया गया है जो नियम विरूद्ध है तथा अवैधानिक है।

पंचायत समिति ने मौके पर मोतबिरान के समक्ष व अधिकारियों व ग्राम पंचायत के सरपंच की मौजूदगी में विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है जिसमें तथाकथित पट्टा सं. 37 दिनांक 20.03.2013 के संबंध में सरपंच व सचिव को निर्देश दिए गये हैं कि यह पट्टा चरागाह भूमि में दिया गया है जो गैर कानूनी व अनुचित है तथा उसको नियमानुसार खारिज करवाने की प्रकिया अपनायी जावें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तथाकथित पट्टा धारा 16 राज. टि.एक्ट व ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायत एक्ट में दिए गए निर्देशों के विपरित होने से निरस्त योग्य हैं। अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि प्रतिपक्षी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा जारी व दिनांक 04.04.2013 को पंजीकृत करवाया गया तथाकथित पट्टा निरस्त करार दिया जावें।

अभिभाषक विपक्षी सं. 1 को बहस हेतु कई अवसर दिए गए परन्तु अभिभाषक अनुपस्थित रहे। अतः विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

हमने विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता हैं कि प्रतिपक्षी सं. 2 व 3 ने दिनांक 20.03.2013 को ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित भूमि में प्रतिपक्षी नं. 1 के पक्ष में 40x30 फिट कुल 1200 वर्गफिट का पट्टा दिनांक 20.03.2013 को जारी किया है जिसका दिनांक 04.04.2013 को पंजीयन करवाया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि निगरानीकर्ता महावीर प्रसाद द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली को पट्टे की जांच हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति देवली द्वारा उक्त पट्टे की जांच की गई एवं जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि "उक्त भूमि पटवारी हल्का पनवाड़ द्वारा जारी नक्सा ट्रेस एवं नकल के आधार पर चरागाह खसरा नम्बर 94 में स्थित है जो कि आबादी में परिवर्तित नहीं है एवं प्रार्थी का किसी प्रकार से कच्चा/पक्का स्थायी निर्माण नहीं है एवं प्रार्थी ग्राम पंचायत पनवाड़ का रहने वाला नही होकर ग्राम पंचायत पनवाड़ से दूर अन्यत्र का रहने वाला है।" इस प्रकार जांच रिपोर्ट से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

स्पष्ट है कि उक्त पट्टा चरागाह भूमि के खसरा संख्या 94 में दिया गया है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 से भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 94, जिसमें उक्त पट्टा जारी किया गया है, की किस्म चरागाह है। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के अलावा अन्य किसी भी भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है परन्तु तत्कालीन सरपंच/सचिव द्वारा सरकारी भूमि को आबादी भूमि बताकर उक्त पट्टा अनुचित एवं अनौचारिक तरीके से दिया गया है।

उक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत पनवाड द्वारा प्रतिपक्षी सं. 1 के पक्ष में 40*30 फिट कुल 1200 वर्गफिट वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक का जारी किया गया पट्टा दिनांक 20.03.2013 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है तथा प्रतिपक्षी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत पनवाड द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.03.2013 निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
अति० जिला कलेक्टर
टोंक